

प्रारम्भिक अधिसूचना

7004/05-08-1020

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम- आंतरी, तहसील- कैलारस, जिला-मुरैना में कुल रकवा 1.032 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना, तहसील-कैलारस के ग्राम- आंतरी प0ह0नं0- रा0नि0वृत0- में उक्त परियोजना के लिये 1.032 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्रस	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	77	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.013	तेजसिंह सोबरन पुत्रान सूखा समान भाग 1000/7875 आदिराम पुत्र फोदी हि. 381/7875 पप्पू पुत्र फोदी हि. 281/7875 भीकम पुत्र जनवेद हि. 163/7875 जमुनादेवी पत्नी सुरेशचंद हि. 900/7875 जाति शाक्य निवासी रामसिंह पुत्र मुरलीधर हि. 1750/7875 जाति कोरी राजेश कुमार पुत्र इच्छाराम हि. 1000/7875 मांगीलाल पुत्र भूरा हि. 900/7875 जाति शाक्य लालपति पुत्र गब्बूराम जाति जाटव हि. 1500/7875 निवासी मालनपुर तहसील गोहद जिला भिण्ड।
2	78/मि .1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.041	मु.किन्ती वेवा तेजसिंह लालाराम मुंशी परसादी बीधा षम्भू पुत्रगण तेजसिंह सरप किन्ती मां 40/282 समान भाग सन्तोषी पुत्र रतनू निर्मला मीना पुत्रियान रतनू मु. गोविन्दी वेवा रतनू जाति कोरी हि. 15/282 समान भाग गनेशा पुत्र सुखुआ 11/282 भाग राजाराम रामसिंह पुत्रगण छोटियाराम 40/282 समान भाग दुर्जन पुत्र चिम्मन गोविन्दी भागवती पुत्रियां चिम्मन जाति जाटव 119/282 समान भाग रामसिंह पुत्र मुरली नि. ग्राम रामलाल पुत्र चोंखरिया जाति कोरी 36/282 समान भाग
3	78/मि .2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि		रधुवीर पुत्र हटीला हिस्सा 8275/41625 शारदा पुत्री हटीला हिस्सा 11755/41325 रतनी पत्नी बेदरिया हिस्सा 855/41625 जाति जाटव डॉ ज्ञान पुत्र असर्फीलाल हिस्सा 900/41625 लालाराम रामकिशन चोखेलाल पुत्रान नेहनेराम बनवारीलाल

4. 2. 24

					श्रीनिवास पुत्रान बेदरिया समान भाग हिस्सा 795/41625 जाति कोरी निवासी बरेंड परिमाल पुत्र चन्दू हिस्सा 450/41625 जाति जाटव नि हीरापुर रामसिंह उर्फ रामस्वरूप पुत्र भग्गूराम हि. 690/41625 पुष्पराज सिंह राहुल नाबा पुत्र गिरवर सरप कुन्जीलाल बाबा खुद समान भाग हि 690/41625जाति जाटव निवासी ग्राम हरीसिंह पुत्र बद्दीप्रसाद हि0 750/41625 जाति जाटव नि मामचौन रामश्रीदेवी पत्नी हरिविलाश हिस्सा 1200/41625जाति जाटव निवासी ग्राम रामनरेश रामप्रीयदास पुत्रान मावसीया हि 1200/41625 जाति कोरी निवासी ग्राम शकुन्तलादेवी पत्नी बंशीलाल हि 900/41625 जाति जाटव निवासी ग्राम मुन्नीदेवी पत्नी सियाराम जाति जाटव निवासी भिलसैया मध्यप्रदेश परीक्षत पुत्र किशुनलाल जाति जाटव निवासी लाखन पुरा हिस्सा 1800/41625लक्ष्मीदेवी पत्नी रधुवीर हि. 1200/41625जाति जाटव डालचन्द वर्मा पुत्र श्रीपाल वर्मा जाति जाटव हि0675/41625 निवासी अटेर रोड पोरसा हाल निवासी आतरी गिरवर पुत्र भोदूसिंह हिस्सा 705/41625 लखपति पुत्र भौदू हि. 1410/41625 जाति जाटव प्रभाकर सुधाकर आनन्दराव नाबालिग पुत्रान रामजीलाल सरप पिता खुदसमान भाग हि 1380/41625 जाति जाटव निवासी भलिसैया जगन्नाथ पुत्र छोटेलाल हिस्सा 750/41625 महेन्द्रसिंह पुत्र रामदयाल हि 900/41625 जाति जाटव निवासी ग्राम बंशी पुत्र जीवनलाल हि0 600/41625 जाटव निवासी डबेरा तह सबलगढ परिमाल पुत्र चन्दूराम हिस्सा 450/41625जाति जाटव निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
4	80	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.133	आवादी/गावठान
5	82	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.171	सरदार पुत्र मरली हि 29900/31500 जाति जाटव अशोक पुत्र कप्तान सिंह हि 800/31500 जाति ठा. नि. वरेंड तहसील जौरा मोहरसिंह पुत्र केदार सिंह हि 800/31500 जाति किरार निआसलपुर वरेंड
6	83	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.674	रामस्वरूप रतनलाल जाति अहीर हि 1/2 गिराज पुत्र हरिविलास उर्फ ल्होरे रामकली पुत्री हरिविलास उर्फ ल्होरे हि. 1/2 समान भाग
कुल 06 सर्वे नं0				1.032	

Sharma
4.8.11.11

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष:-धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

स्थान : मुरैना

तारीख :

(प्रियंका दास)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जिला-मुरैना (म0प्र0)

दिनांक: 05/09/2020

पृष्ठ प्र0क्र0 29/अ-82/भू-अर्जन/आंतरी/उ0म0रे0/2017-18/मुरैना/7004

प्रतिलिपि :-

1. नियंत्रक, शासकीय केन्द्र मुद्रणालय म0प्र0 भोपाल की ओर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन हेतु।
2. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, भोपाल की ओर 2 स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
3. कलेक्टर, जिला-मुरैना के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़, जिला-मुरैना के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
5. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
6. तहसीलदार, परगना कैलारस की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील, पुलिस स्टेशन, ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन/चस्पा करने एवं ग्राम में मुनादी उपरांत तामीली प्रति भेजने हेतु।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मुरैना की ओर कलेक्टर, जिला-मुरैना (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकृत वेबसाईड पर अपलोड हेतु।

(प्रियंका दास)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जिला-मुरैना (म0प्र0)

dm

Sharma
4.8.17.41

